राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांकः–राम/प.1/पूल/किराये के वाहन/2023–24/ 68 दिनांकः– 12/5/23

–ःआम सूचना :–

विषयः–राजस्व मण्डल अजमेर में राजकीय उपयोग हेतु वाहन किराये पर लिये जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व मण्डल अजमेर में राजकीय प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये वाहन यथाः–डीजायर / सियाज / एक्सेंट / ईटियोज आदि अथवा इनके समान अन्य सैडान कार अनुबंध के आधार पर किराये पर रखे जाने के प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रहें है। यह अनुबंध वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 19.07.2018 एवं 05.04.2022 में वर्णित शर्तो एवं दरो के अधीन होगा जो समय–समय पर वित्त विभाग के आदेशानुसार परिवर्तनीय होगी। ईच्छुक वाहन मालिक कार्यालय समय में उपस्थिति होकर निर्धारित आवेदन में दिनांक 18.05.2023 तक प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है।

उप निबंधक(पूल)
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

1–नोटिस बोर्डः– कार्यालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
2–नोटिस बोर्डः– कार्यालय संभागीय आयुक्त, अजमेर।
3–नोटिस बोर्डः– कार्यालय जिला कलक्टर, अजमेर।
4–नोटिस बोर्डः– कार्यालय सूचना एव जन सम्पर्क विभाग, अजमेर ।

Signature valid
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Designation : Deputy Registrar
Date: 2023.05.12 16:08:25 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3831935

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजस्व मण्डल अजमेर में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये वाहन किराया अनुबंध हेतु आवेदन पत्र

व्यक्तिगत विवरण

आवेदक का नाम	
पता	
मोबाईल नम्बर	
ईमेल पता :	

1. वाहन का विवरण

क्र.सं.	वांछित दस्तावेज का नाम	संलग्न
1	पेन कार्ड	हाँ / नही
2	आधार कार्ड	हाँ / नही
3	यदि संस्था हो तो संस्था को पंजीयन प्रमाण	हाँ / नही
4	वाहन का मेक एवं रंग	
5	वाहन का मॉडल वर्ष	
6	वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र	हाँ / नही
7	वाहन का बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र	हाँ / नही
8	वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र	हाँ / नही
9	वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर	
10	वाहन का प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र	हाँ / नही
11	वाहन चालक का नाम ,लाईसेंस, आधार कार्ड, मोबाईल नम्बर तथा वर्तमान निवास का पूर्ण पता	हाँ / नही
12	हस्ताक्षरयुक्त आवेदन पत्र (प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर)	हाँ / नही
13	क्या पूर्व में वाहन की सेवाऐं राजस्व मण्डल अजमेर में दे रखी है ?	हाँ / नही

नोटः–1–उपरोक्त सभी दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न किये जाने है। दस्तावेज संलग्न नही होने पर संबंधित का कारण अंकित किया जावें। दस्तावेज के अभाव में आवेदन निरस्त किया जा सकता है ।

2–एक से अधिक वाहनों को किराये पर रखे जाने हेतु आवेदन करने पर प्रत्येक वाहन का विवरण पृथक–पृथक अंकित करावें ।

आवेदक के हस्ताक्षर

राजस्थान – सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजस्व मण्डल अजमेर कार्यालय में राजकीय उपयोग हेतु वाहन किराये अनुबंध की शर्ते।

1. राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये राजकीय उपयोग हेतु किराये पर वाहन (कार यथाः–डीजायर/सियाज/एक्सेंट/ईटियोज आदि अथवा इनके समान अन्य (SEDAN)कार ऱखे जाने हेतु आवेदन प्राप्त किये जा रहे है।
2. एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से एक अथवा एक से अधिक वाहनों के लिये आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. निर्धारित तिथि और समय के पश्चात् आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।
4. उक्त वाहन किराया अनुबंध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा हुए संशोधनों के अनुसार जारी किया जा रहा है तथा साथ ही उक्त उपापन प्रक्रिया इन अधिनियम एवं नियमों एवं संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी। **वाहन किराया अनुबंध कार्यादेश दिनांक 01.06.2023 से 28.02.2024 तक के लिये किया जायेगा। जो आपसी सहमति से आगे भी बढाया जा सकेगा।**
5. विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार अजमेर न्यायालय होगा।
6. यह अनुबंध अधिकतम 17 (15+02) वाहन किराये पर रखे जाने हेतु किया जा रहा है, किन्तु कार्यालय में एक मुश्त 17 वाहन किराये पर नही लिये जायेंगे। वाहनों की आवश्यकता/उपयोग के अनुसार ही निर्धारित दर पर किराये पर रखे जायेंगे ।
7. किराये पर लिये जा रहें वाहन राज्य में मुख्यालय के बाहर किसी भी स्थान पर संचालित किये जा सकतें है।
8. **(अ) राज्य सीमा हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहनः–**

   किराये पर वाहन रखे जाने हेतु उक्त आवेदन में 15 किराये के वाहन 1500 कि0मी0 परिचालन या अधिकतम राशि रूपये 27900/–प्रतिमाह तक की अधिकतम सीमा (सम्पूर्ण राज्य सीमा) के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार लिये जाने है। राज्य सीमा में 1500 कि0मी0 से अधिक चलने पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रति कि0मी0 न्यूनतम की दर से अतिरिक्त भुगतान देय होगा।

   (ब) नगरीय सीमा हेतु किराये पर लिये जाने वाले वाहनः–

   02 किराये के वाहन 1500 कि0मी0 परिचालन या अधिकतम राशि रूप्ये 27900/–प्रतिमाह तक की अधिकतम सीमा (नगरीय सीमा में) के अन्तर्गत आवश्यकता अनुसार लिये जाने है ।
9. बिन्दु संख्या 8 (अ) में वर्णित राज्य सीमा में संचालन हेतु किराये पर लिये जा रहें प्रत्येक वाहन का परिचालन प्रतिमाह 2500 कि0मी0 से अधिक नही होगा ।
10. बिन्दु संख्या 8(ब) में वर्णित नगरीय सीमा में संचालन हेतु किराये पर लिये जा रहें प्रत्येक वाहन का परिचालन प्रतिमाह 1500 कि0मी0 से अधिक नही होगा ।
11. बिन्दु संख्या 8(अ) में वर्णित राज्य सीमा में संचालन हेतु किराये पर लिये जा रहें वाहन का प्रत्येक माह में 1500 कि0मी0 से अधिक परिचालन होने पर निम्नानुसार किराये की गणना कर भुगतान किया जायेगा।

    (1) प्रथम 1500 कि.मी मासिक परिचालन पर न्यूनतम किराया राशि–27900/– प्रतिमाह

    (2) 1501 कि.मी से अधिक परिचालन– (अधिकतम 2500 कि.मी.तक)–राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम राशि रू0 10 प्रति कि.मी की दर से।
12. मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम के मामले में वाहन चालक को प्रति रात्रि 300/–रूपये की दर से अतिरिक्त राशि का भुगतान देय होगा। रात्रि विश्राम भत्ते का भुगतान मण्डल द्वारा अग्रिम नही किया जायेगा और ना ही अनुबन्धकर्ता अथवा संबंधित वाहन चालक द्वारा इस बाबत पृथक से कोई बिल प्रस्तुत किया जायेगा। रात्रि विश्राम भत्ते का अंकन संबंधित माह के वाहन किराया बिल में किया जायेगा जिसका किराये राशि के साथ ही भुगतान किया जायेगा।
13. किराये के वाहन में यात्रा के दौरान देय टोल टैक्स का भुगतान मण्डल द्वारा किया जायेगा। टोल टेक्स का भुगतान अग्रिम नही किया जायेगा और ना ही अनुबन्धकर्ता अथवा संबंधित वाहन चालक द्वारा इस बाबत पृथक से कोई बिल प्रस्तुत किया जायेगा। टोल टैक्स का अंकन संबंधित माह के वाहन किराया बिल में किया जायेगा जिसका किराया राशि के साथ ही भुगतान किया जायेगा। अनुबंधकर्ता द्वारा टोल टैक्स की रसीद बिल के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । रसीद के अभाव में भुगतान देय नही होगा।
14. अनुबंध अवधि के दौरान यदि डीजल/पैट्रोल/ऑयल की दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो स्वीकृत दर से अधिक/कम भुगतान देय नही होगा।
15. वाहन सेवाओं के लिये किसी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
16. यह अनुबंध वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 05.04.2022 के अधीन दरो व शर्तो पर किया जाना है जो वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शर्तो एवं दरो के अनुसार परिवर्तनीय होगा ।

उप निबन्धक (पूल)
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

लगातार पेज–2

17. आवेदनकर्ता द्वारा आवेदित किये जाने वाले वाहन/वाहनों का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य है।

18. आवेदक द्वारा किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का मॉडल वर्ष 2017 (मॉडल) से अधिक पुराना नही होगा। **वाहन अनुबंध हेतु मांग से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने पर नवीनतम मॉडल के वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।**

19 अनुमोदित वाहन की सेवाऐं साधारणतः कार्य दिवस में प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक होगी।

20. राजकीय अवकाश में वाहन का संचालन नही किया जायेगा। यदि अवकाश दिवस अथवा निर्धारित समय के पूर्व/पश्चात् सक्षम अधिकारी/कार्यालय द्वारा राजकीय प्रयोजनार्थ वाहन को उपयोग मे लिया जाता हैं तो अनुबन्धकर्ता को वाहन उपलब्ध कराना होगा। जिसकी पूर्व सूचना संबधित द्वारा निबंधक महोदय/प्रभारी अधिकारी (पूल),राजस्व मण्डल अजमेर को देनी होगी।

21. किराये पर उपलब्ध कराये जा रहे वाहन में ए. सी. सुचारू रूप से कियाशील अवस्था में होना अनिवार्य है ।

22. वाहन चालक स्वच्छ ड्रेस में आयेगा तथा वाहन को साफ–सुथरा रखना होगा।

23. अनुबन्धित वाहन पर रखा गया वाहन चालक बार–बार बदला नहीं जायेगा। चालक वैध लाईसेन्स धारक होना चाहिये तथा निर्धारित वर्दी पहन कर उपस्थित होगा।

24. अनुबंधकर्ता को वाहन पर ''राजकीय सेवार्थ'' की एक प्लेट लगानी होगी। प्लेट ऐसी होगी कि उसके फ्रेम से खींचकर हटाया जा सके अथवा कवर किया जा सके। वाहन राजकीय कर्तव्य से मुक्त होने पर यह प्लेट हटाना/कवर करना अनिवार्य होगा।

25. किराये हेतु अनुबन्धित किये गये वाहन पर होने वाले समस्त खर्चे अनुबंधकर्ता के होगें। वाहन में किसी भी प्रकार की कमी के लिये यदि कोई चालान या जुर्माना होता है तो उसकी जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी तथा किसी भी प्रकार की टूट–फूट, वाहन के दुर्घटना होने या चोरी होने पर विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

26. अनुबंधकर्ता किसी भी कारण से कार्यालय अथवा मांग अनुसार यथा दिवस–यथा समय वाहन उपलब्ध करानें में असमर्थ होगा तो शास्ति (Penalty) के रूप में 800/–रूपये प्रत्येक दिवस की दर से राशि की कटौति मासिक किराया भुगतान में से की जायेगी ।

27. अनुमोदित वाहन के अत्यधिक खराब/ दुर्घटनाग्रस्त/अन्य कारण हो जाने की स्थिति मे अनुबन्धकर्ता को दूसरा वाहन जो अनुबंध शर्तो को पूरा करता है, अविलम्ब उपलब्ध कराना होगा । अनुबंधित वाहन के ऐवज में उपलब्ध कराये गये वाहन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंध शर्तो के अन्तर्गत अनुबन्धकर्ता की होगी। वाहन उपलब्ध नही कराने पर अनुबंध शर्तो के तहत कार्यवाही/वसूली होगी।

28. अनुबंध के शर्तो के अनुरूप उपलब्ध कराये गये वाहन में किसी प्रकार की कोई कमी पायी गई अथवा अनुबंधकर्ता / वाहन चालक की सेवाऐं संतोषप्रद नही होने की स्थिति में अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी समय 7 दिवस में नोटिस दिये जाने के बाद जवाब संतोषप्रद नही होने पर वाहन का अनुबंध तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।

29. अनुबंधकर्ता की सेवायें असन्तोषप्रद पाये जाने अथवा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लघंन करने पर विभाग द्वारा अनुबंध/सेवाऐं निरस्त की जा सकती है एवं प्राप्त प्रतिभूति राशि नियमानुसार जब्त कर ली जावेगी।

30. अनुबधित वाहन चालक लॉगबुक को निर्धारित प्रारूप में भरेगा। जिसमें प्रति दिवस की यात्रा का विवरण लॉगबुक में दर्ज करायेगा। प्रत्येक यात्रा का संक्षिप्त प्रयोजन सहित यात्रा करने वाले संबधित अधिकारी/कर्मचारी के नाम पद तथा हस्ताक्षर लॉग बुक में पूर्ति करानें की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन चालक की होगी। लॉग बुक के प्रत्येक कॉलम की पूर्ण पूर्ति होने पर ही मासिक किराये का भुगतान किया जायेगा।

31. अनुबंधित वाहन यथा सम्भव कार्यालय परिसर में पार्क किया जायेगा। लेकिन कार्यालय में वाहन को किसी भी प्रकार के नुकसान या चोरी का जोखिम अनुबंधकर्ता/चालक का होगा। जिसमें विभाग का कोई उत्तरदायित्व नही होगा और ना ही इससे संबंधित किसी भी विभागीय/कानूनी कार्यवाही के लिये विभाग जिम्मेदार होगा।

32. राजकीय प्रयोजनार्थ ड्यूटी के दौरान अनुबंधित वाहन का किसी अन्य निजी/गैर कानूनी कृत्यो में प्रयोग किया जाता है तो तत्काल वाहन की सेवाऐं समाप्त कर दी जायेगी तथा नियमानुसार सक्षम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता/चालक की होगी।

33. अनुबन्धकर्ता को वाहन किराये का बिल प्रत्येक माह पूल शाखा में तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित लॉगबुक के प्रत्येक कॉलम की पूर्ण पूर्ति कर लॉगबुक एवं कार्यादेश की दो–दो प्रतियों बिल के साथ संलग्न प्रस्तुत करनी होगी। तदोपरांत ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

34. अनुबंधकर्ता को मासिक किराया बिल में इस आशय का प्रमाणिकरण करना अनिवार्य होगा कि ''अनुबंधित वाहन पर कार्यरत चालक को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है'' ।

लगातार पेज -- 3

उप निबन्धक (पूल)
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

35. नियमानुसार आयकर कटौति देय भुगतान राशि से आयकर नियमों के अर्न्तगत की जावेगी। स्त्रोत पर कटौति पर प्रमाण–पत्र अन्त में विभाग द्वारा दिया जावेगा। जी.एस.टी./सर्विस टेक्स/अन्य करों के भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की होगी।

36. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम–2012 के अध्याय–3 के अनुसार उक्त उपापन हेतु अपील प्राधिकारी निम्नानुसार होगें।
   (1) प्रथम अपील प्राधिकारी–अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर
   (2) द्वितीय अपील प्राधिकारी–शासन सचिव राजस्व विभाग,शासन सचिवालय,जयपुर।

37. उपापन की समस्त कार्यवाही RTTP Act 2012 RTTP Rules 2013 एवं GF&AR के प्रावधानों एवं राज्य सरकार के निर्देशो के तहत की जा रही है। कार्यवाही में यदि कोई संशय/भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसमे कार्यवाही अंकित नियमों के तहत की जायेगी।

38. आवेदक का वाहन किराया अनुबंध स्वीकृत होने की दशा में अनुबंधकर्ता को स्वीकृत वार्षिक राशि का 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि (कार्य संपादन प्रतिभूति राशि) के रूप में डिमाण्ड ड्राप्ट निबंधक राजस्व मण्डल अजमेर के नाम प्रस्तुत करना होगा ।

39. आवेदक का वाहन किराया अनुबंध स्वीकृत होने के पश्चात् अनुबंधकर्ता को 500/–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अपने स्वयं के खर्चे पर एक करार पत्र प्रस्तुत करना होगा। करार पत्र का प्रारूप पूल शाखा से प्राप्त किया जा सकेगा।

40. वाहन सेवा प्रदाता अपनी सेवाओं या उसके सारभूत किसी भाग को ना तो अन्य ऐजेन्सी को सौंप सकेगा या ना ही किसी को आगे बोली पर दे सकेगा।

41. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में किराये के वाहन हेतु वर्णित उपरोक्त सभी शर्ते मेरे द्वारा भली–भांति पढ़ एवं समझ ली है तथा मुझे/हमें स्वीकार्य है।

42. उपरोक्त समस्त शर्तो में किसी प्रकार का संशय होने की दशा में, आवदेन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से एक दिवस पूर्व लिखित में मण्डल कार्यालय को अपनी वेदना/अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। इसके उपरान्त अभ्यावेदन स्वीकार्य नही होगा। इस बाबत मण्डल कार्यालय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

उप निबन्धक (पूल)
राजस्व मण्डल राज., अजमेर

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम...
पता...
....
....
मोबाईल नम्बर...

:: घोषणा–पत्र ::

मैं प्रमाणित करता हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त वांछित जानकारियां/दस्तावेज पूर्णत सत्य है।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये राजकीय उपयोग हेतु किराये पर वाहन उपलब्ध करानें हेतु जारी आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तो को पढ़कर/पढाकर समझ लिया है तथा मुझे समस्त शर्ते मान्य है।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर